(ग) सोडा वाटर, जिस पर उत्पादन शुल्क लगता है, के बनाने में कितनी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग होता है तथा उस पर कितना उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ; और

(घ) क्या छोटे उद्योगपतियों पर भी उत्पादन शुल्क लगता है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां । एसोसिएशन ने छोटे कारखानों द्वारा निर्मित वातित जलों पर उत्पादन शुल्क से छूट की मांग की थी ।

(ख) वातित जलों के छोटे निर्माताओं को अनुमत्य रिआयतों को उदार बना कर कार्यवाही की गई है । गैर-बिजली चालित कारखानों में उत्पादित वातित जलों पर, दो भराई मशीनों (एक क्राउन-कार्क किस्म की और दूसरी मार्बल अथवा गोली किस्म की) में उत्पादित माल के सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क की अदायगी से पूर्ण छूट प्राप्त है । जल के कार्बोनेटीकरण के लिए । अश्वशक्ति तक और बोतलों की धुलाई के लिए 1/2 अश्वशक्ति तक बिजली के इस्तेमाल की भी बिना किसी शुल्क दायित्व के अनुमति दी गयी है ।

(ग) सोडा-वाटर के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की मात्रा अलग-अलग कारखानों में भिन्न-भिन्न होती है । मुख्य कच्चे माल में कार्बन-डाइआक्साइड गैस, जिस पर प्रति किलोग्राम 1 रुपये 20 पैसे का शुल्क लगता है, कांच की बोतलें जिन पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत शुल्क लगता है और क्राउन कार्क जिन पर प्रति नग 2 पैसे का शुल्क लगता है, शामिल हैं ।

(घ) गैर बिजली चालित कारखानों में निर्मित वातित जलों पर, प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताई गई मात्रा तक शुल्क से छूट दी गई है । अन्य कारखानों के मामले में, एक वित्तीय वर्ष में मीठे वातित पेय की 50 लाख बोतलों की पहली निकासियों के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 25 प्रतिशत शुल्क की रिआयती दर निर्धारित की गई है । परन्तु यह रिआयत उन वातित जलों पर अनुमत्य नहीं है, जिनमें कोला-नट्स का सार होता है । इन पर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत शुल्क अदा करना होता है ।

निर्यात निरीक्षण परिषद् के कार्य का निरीक्षण करने का प्रस्ताव

5314. **श्री कल्याण जन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् और तत्सम्बन्धी एजेंसियों की कार्य-पद्धति की जांच करने और उनके पुनर्गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). सरकार का विचार निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा उससे सम्बद्ध एजेंसियों की कार्य पद्धति की समीक्षा करने का है । ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

Re-instatement of Employees of Central Excise Collectorates, Allahabad and Kanpur

5316. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the total number of employees whose services were terminated during

the period of emergency in the Central Excise Collectorates at Allahabad and Kanpur;

(b) the number out of them who have since been re-instated in service; and

(c) the number of cases in which the amount of gratuity and other retirement benefits have not been paid so far to the persons who have not been re-instated and the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) 28.

(b) 7.

(c) Details of the cases in which benefits, viz. pension and/or gratuity have not been paid so far to the persons who have not been re-instated are given below:

(i) in one case, a provisional pension has been sanctioned, while gratuity has been withheld pending vigilance clearance;

(ii) in another case, service records were not complete and action is being taken to complete them immediately in order to sanction the retirement benefits;

(iii) in another case, the application for pension has been received from the officer concerned only on 6-5-1977 and is under action; and

(iv) in the fourth case, the officer was retired on 14-3-1977 and his application for pension was awaited.

The Collectors concerned have been directed to expedite action in these cases. It has also been reiterated that Heads of Departments should not wait for applications for pension from retired officers but should themselves obtain from them the particulars necessary for sanctioning the retirement benefits.

Auditing of Income-tax cases

5317. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether in view of the provisions of s. 142(2A) in Direct Tax Laws 1975, any income-tax cases are entrusted for detailed audit;

(b) if so, how many;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether it is one of the causes that Central Board of Direct Taxes has not prepared or asked to prepare panel of auditors for such audits?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Remittance by Coca Cola Export Corporation

5318. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether to the restrictions based on the remittances of M/s. Coca Cola Export Corporation being 80 per cent of the exports of their own products are on Cash basis or on a Accrual basis;

(b) whether Rs. 2.28 crores have been remitted on Profit account and Rs. 40.93 lakhs on account of import license issued and Rs. 35.49 lakhs as Head Office expenses during the calendar years 1973 to 1975;

(c) whether the exports for the same period were worth Rs. 2.39 crores; and

(d) if so, what action is proposed to be taken against Coca Cola Export Corporation when remittances are far in excess of 80 per cent exports?